

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 20 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-2 / 2014-15 दिनांक 16 / 01 / 2015

अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती किरन केसरवानी एवं श्री पवन केसरवानी द्वारा भवन सं0-276 मुट्ठीगंज इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 03.01.2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
- स्थल पर 05 अदृक् वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा। जिसमें बेसमेंट में स्टोर, स्ट्रिक्ट पार्किंग, प्रथम तल पर शॉप, द्वितीय एवं तृतीय तल पर आवासीय निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
- रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

15/1/15
9485383268


A1
16/01/2015
(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी(त0स0-2)




FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN




THIRD FLOOR PLAN




TERRACE PLAN




SITE PLAN



FRONT ELEVATION




SECTION AT A-B




STILT PLAN



STAIR SECTION




BASEMENT PLAN



33M FOUNDATION DETAIL

सर्व विवरणों को ध्यान से देखें और निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्री का प्रबंधन करें।
 निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें।
 निर्माण के दौरान सभी कानून और नियमों का पालन करें।



KEY PLAN N.T.S.

NOTE:-

LIME CONGUM FOUNDATION	
FLOORING OVER R.C.C. SLAB	
TOTAL FLOOT AREA	= 724.61 SQ. FT.
COVERED AREA IN BASE	= 372.87 SQ. FT.
COVERED AREA ON STILT	= 488.00 SQ. FT. 45.00%
COVERED AREA ON FIRST FLOOR	= 317.86 SQ. FT. 40.00%
COVERED AREA ON SECOND FLOOR	= 317.86 SQ. FT. 40.00%
COVERED AREA ON THIRD FLOOR	= 317.86 SQ. FT. 40.00%
OPEN AREA ON G.P.	= 437.00 SQ. FT.
GRAND ROOM AREA	= 396.50 SQ. FT.
MUNITY AREA	= 12.88 SQ. FT.
BARASTI AREA	= 62.25 SQ. FT.
ACHIEVED F.A.R.	= 1.30 APPROX
PROVIDED CAR PARKING	15 NOS.

It is certified that the building plan has been prepared according to the provisions of the Building Plan and Control Ordinance, 2012.

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON HOUSE NO. 276, MUTTHIGANJ, ALLAHABAD. SCALE: 1:100

OWNER -
 SMT. KIRAN KESARWANI
 DR. SUBHASH KESARWANI
 SRI. DIVAN KESARWANI
 S/O. DR. SUBHASH KESARWANI

Er. V. K. Mishra
 27/07/2022
 523/2022/1
 P.O.

SEAL OF ENGINEER